

(ग) सम्मेलन किम निष्कर्ष पर पहुंचा था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग)। इस समय सुलभ सूचना से ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ला एम्प्लोयेशन के हेतु की सम्मेलन में अन्तरिक्ष पर प्रभुसत्ता के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। इस सम्मेलन की प्रोपोजिटों की प्रतीक्षा है। जहाँ तक पक्का पता लगाया जा सका है, इंटरनेशनल ला एम्प्लोयेशन की भारतीय शाखा के प्रतिनिधियों ने अन्तरिक्ष पर प्रभुसत्ता के प्रश्न पर कोई मत व्यक्त नहीं किया था क्योंकि इस मामले पर विचार-विमर्श ही नहीं हुआ। इस समय सुलभ सूचना से यह पता लगता है कि अन्तरिक्ष सम्बन्धी कानून से सम्बद्ध मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। यह विषय समिति को वापस भेज दिया गया है कि वह इस पर और अध्ययन करे।

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 5006, DATED 9.5.66. REGARDING EXPLOSION IN ORDNANCE FACTORY AT KIRKEE

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): While answering Unstarred Lok Sabha Question No. 5006 on the 9th May, 1966 I had placed a statement on the Table of the House. In para 3(c) of the statement, I had stated as follows:—

“3(c) Ammunition Factory Co-operative Society.—Late Sh. Pattulo was a member of Ammunition Factory Co-operative Society Limited and under Death-cum-Benevolent Fund Scheme and Family Relief Fund of the Society, his family is entitled to Rs. 500/- and Rs. 150/- from these funds respectively. The amount has not been paid in the absence of legal heirship certificate.”

2. Further information has since been received that the earlier state-

ment which was based on information given by the Ammunition Factory Cooperative Society has not been found correct on further scrutiny in as much as the late Sh. Pattulo was not a member of the Ammunition Factory Cooperative Society Limited, Kirkee and hence his family is not eligible for any payments under the Death-cum-Development Fund Scheme and Family Relief Fund of the Society.

12.15 hrs.

ARREST OF MEMBER AND HIS RELEASE ON BAIL

(Shri Ram Sevak Yadav)

Mr. Speaker: On the 17th November, 1966 I had read out to the House the telegram received from the Deputy Superintendent of Police, Barabanki, intimating the arrest of Shri Ram Sewak Yadav, Member, Lok Sabha. Subsequently I have received from the Superintendent of Police, Barabandi, a formal detailed communication dated the 17th November, 1966 regarding his arrest. I have also since received a telegram from the District Magistrate Barabanki, intimating the release on bail, of Shri Ram Sewak Yadav. Both these communications will be published in today's Lok Sabha Bulletin, Part II.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) :
अध्यक्ष महोदय . . .

एक माननीय सदस्य : श्री यादव यहाँ कैसे आये हैं।

श्री राम सेवक यादव : मैं पैरोल पर आया हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से बहुत विनम्र निवेदन करूँ कि हमारी सरकार की जो मुहर है उस पर लिखा हुआ है : “सत्यमेव जयते”। “सत्यमेव जयते” के आधारे पर मैं आपको द्वारा निवेदन करूँगा कि जब किसी सरकार

का सत्य का आधार खत्म हो जाता है तो वहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। आखिर मैंने कोई जुर्म किया है, कहीं डाका डाला है, किसी का कत्ल किया है जिसके लिये पुलिस ने मुझ-को पकड़ कर जेल में डाल दिया है धारा 107 और 117 के अन्तर्गत। मैं 13 मील जाता हूँ और मोटिंग करके बस में आता हूँ। बस में बैठे हुए मुझ को धारा 151 के अन्तर्गत पकड़ा जाता है। इस तरह से जनतन्त्र की हत्या हो रही है और हम लोगों को इस सदन की सेवा से वंचित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोर्ट में सरकार के खिलाफ कार्रवाई कीजिये। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो।

श्री राम सेवक यादव : यह सदन एक परिवार है। और अगर इस सदन के सदस्य कोई काइम न करें तो उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिये। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का मुझे अधिकार है। अगर मैं आप से प्रोटेक्शन नहीं चाहूंगा तो फिर और किस से चाहूंगा। जैसे मुझे को बन्द किया वैसे ही और भी माननीय सदस्य बन्द हैं जेल में। इस प्रकार से हमारा जनतन्त्र कैसे चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल कैसे उठ सकता है। श्री मधु लिमये ने कहा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यह सवाल कि आया गिरफ्तारी नाजायज हुई है इसके लिये तो मैं कह सकता हूँ डीमिनिस्टर से कि So far as Members of Parliament are concerned, enough care should be taken in advance so that no injustice is done and unnecessarily no arrest is made.

श्री बड़े : (खारगोन) : पार्लियामेंट की सर्विस से वंचित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर एग्जीक्यूटिव आर्डर से अरेस्ट हुई है तो मैं नहीं कह सकता कि हम उसको रिलीज करते हैं।

श्री मधु लिमये : नियमानुसार कारण उनको देना चाहिये। अगर कारण न दें तो आप उनको छोड़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं छोड़ सकता।

श्री मधु लिमये : आप उनसे जरा पूछिये। यह हमारी स्वतन्त्रता को गर कानूनी ढंग से छीन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। इस तरह से कैसे काम चल सकता है। . . .
(व्यवधान)

श्री बड़े : अब आप बैठ जाइये। इस पर बहस कैसे होगी। (व्यवधान) Let us proceed to the next item. Shri C. R. Pattabhi Raman.

Shri G. N. Dixit (Etawah): Sir, I want to raise a point of order in regard to what Shri Ram Sewak Yadav said.

Mr. Speaker: I am not allowing him.

12.18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CONDUCT OF ELECTIONS (AMENDMENT) RULES

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): I beg to lay on the Table a copy of the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. S.O. 3450 in Gazette of India dated the 10th November, 1966, under sub-section (3) of section 109 of the Representation of the People Act, 1951. [Placed in Library. See No. LT-7359/66].